



"प्रेस नोट"

"अन्तरजनपदीय अवैध शस्त्र बनाने व बेंचने के अपराध का खागा पुलिस व स्वाट टीम द्वितीय की संयुक्त टीम द्वारा अवैध शस्त्र बेंचने एवं बनाने की फैक्ट्री का खुलासा कर 16 अदद नाजायज देशी तमंचा व 07 अदद जिन्दा कारतूस 315 व 12 बोर व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण सहित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहपुर के कुशल निर्देशन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी खागा महोदय के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार चतुर्वेदी कोतवाली खागा जनपद फतेहपुर के नेतृत्व में चौकी प्रभारी मझिलगांव उ0नि0 राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी व उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह पुलिस बल तथा स्वाट टीम द्वितीय प्रभारी उ0नि0 विन्ध्यवासिनी तिवारी मय हमराह पुलिस बल के द्वारा अन्तरजनपदीय अवैध शस्त्र बनाने व बेंचने के अपराध की रोकथाम अभियान में आज दिनांक 31.01.2023 को समय 13.20 बजे पुरानी नहर कोठी वहद ग्राम कटोघन थाना खागा जनपद फतेहपुर से अभियुक्त गण 1.राम सजीवन कोरी पुत्र स्व0 बाबूलाल उम्र 50 वर्ष निवासी बिलन्दपुर थाना कोतवाली फतेहपुर 2.दशरथ पुत्र गया प्रसाद उम्र करीब 58 वर्ष निवासी काँधी थाना मलवां जनपद फतेहपुर को 16 अदद नाजायज देशी तमंचा व 07 अदद जिन्दा कारतूस 315 व 12 बोर व नाजायज तमंचा बनाने के उपकरण की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त गण उपरोक्त को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय मु0अ0सं0 39/2023 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट व 120B IPC बनाम अभियुक्त गण 1.राम सजीवन कोरी पुत्र स्व0 बाबूलाल उम्र 50 वर्ष निवासी बिलन्दपुर थाना कोतवाली फतेहपुर 2.दशरथ पुत्र गया प्रसाद उम्र करीब 58 वर्ष निवासी काँधी थाना मलवां जनपद फतेहपुर तथा उपरोक्त घटना में षडयंत्र करने वाला अभियुक्त 3.चुन्नू पाल उर्फ चुन्नी लाल पुत्र सुन्दर पाल निवासी अडार थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

1. राम सजीवन कोरी पुत्र स्व0 बाबूलाल उम्र 50 वर्ष निवासी बिलन्दपुर थाना कोतवाली फतेहपुर



आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 625/2015 धारा 60(2) Ex. Act थाना कोतवाली फतेहपुर जनपद फतेहपुर
- 2.मु0अ0सं0 688/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली फतेहपुर जनपद फतेहपुर
- 3.मु0अ0सं0 690/2021 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली फतेहपुर जनपद फतेहपुर
- 4.मु0अ0सं0 755/2016 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली फतेहपुर जनपद फतेहपुर
- 5.मु0अ0सं0 28/2017 धारा 60/72 Ex. Act व 411/419/420/467/468/471 IPC थाना मलवां फतेहपुर

6.मु0अ0सं0 39/2023 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट व 120B IPC थाना खागा जनपद फतेहपुर

2. दशरथ पुत्र गया प्रसाद उम्र करीब 58 वर्ष निवासी काँधी थाना मलवां जनपद फतेहपुर



आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 39/2023 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट व 120B IPC थाना खागा जनपद फतेहपुर

बरामदगी का विवरण

01. देशी तमंचा नाजायज 12 बोर	-10 अदद
02. देशी तमंचा नाजायज 315 बोर	-04 अदद
03. देशी तमंचा नाजायज अर्ध निर्मित 12 बोर	-02 अदद
04. जिन्दा कारतूस 315 बोर	-02 अदद
05. जिन्दा कारतूस 12 बोर	-05 अदद
06. अवैध शस्त्र बनाने के समस्त उपकरण	-22 अदद
07. मोबाइल एण्ड्राइड/कीपैड	-02 अदद
08. नगद रूपया	-750 रूपया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार चतुर्वेदी कोतवाली खागा
2. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी चौकी प्रभारी मझिलगांव थाना खागा
3. उ0नि0 विवेक कुमार यादव थाना खागा जनपद फतेहपुर
4. उ0नि0 अखिलेश यादव
5. का0 संदीप
6. का0 अजय
7. का0 रोहित
8. का0 हिमांशू कटियार
9. का0 उमेश
10. का0 रामकुमार
11. का0 अरविन्द सिंह
12. का0 जितेन्द्र सिंह
13. म0का0 नीलम
14. म0का0 संतोषी

स्वाट टीम द्वितीय

1. प्रभारी उ0नि0 विन्ध्यवासिनी तिवारी
2. का0 कृष्ण कुमार
3. का0 राजकुमार
4. का0 जयप्रकाश बघेल
5. का0 प्रमोद कुमार गौतम

प्रभारी निरीक्षक
थाना खागा
जनपद फतेहपुर